



पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड कैम्पियरगंज, गोरखपुर
E-mail: eddcampianganj@gmail.com, CIN-U31200UP2003SGC027461

पत्रांक 5238/वि0वि0खं0कै0(गो0)/

दिनांक: 11/08/2023

विषय- एकल फेस: संस्थापन-230 वोल्ट के अन्तर्गत निजी नलकूप हेतु नियमावली एवं शर्तें।

श्री जनार्दन सिंह, पुत्र श्री रामदरस सिंह

ग्राम व पोस्ट- लक्ष्मीपुर सूरस

ब्लाक- कैम्पियरगंज, जनपद- गोरखपुर

आपके आवेदन पत्र 1008310441 दिनांक 04.08.2023 के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके सिंचाई कार्य हेतु निजी नलकूप के लिए 3 अंश 0 वाट एवं बत्ती पंखे हेतु 120 वॉट की स्वीकृति हो चुका है।

1- निम्नलिखित औपचारिकतायें शीघ्र पूर्ण करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जाये।

क्र०सं०	सर्विस कनेक्शन चार्ज	कुल योग
1	स्थान पर लाईन लगाने का खर्च	468.00
2	सुरक्षित धनराशि (जो बाद में आपको वापस कर दी जायेगी)	936.00
3	मीटर दर	877.00
योग- दो हजार दो सौ इक्यासी रुपये मात्र		2281.00

नोट-कारपोरेशन द्वारा निर्धारित.....से अधिक.....बनाने का खर्च (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा)

2-मोटर निरीक्षण शुल्क को शासकीय कोष में 0043 विद्युत कर एवं शुल्क 102 भारतीय बिजली नियमावली के अन्तर्गत फीस रु. 500.00 जमा करना होगा।

3-आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित 33 केवी विद्युत उपकेन्द्र कैम्पियरगंज (ग्रामीण) से अपने वाहन द्वारा सामान की दुलाई के साथ कारपोरेशन का चतुर्थ श्रमिक जायेगा तथा शीघ्र कार्य शुरू कर देगा।

4-आपको अपना पम्प हाउस बनवाने हेतु आवश्यक ईट, बालू तथा सीमेंट का प्रबन्ध करना पड़ता है, अतः उसी में से उपर्युक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाईट कनेक्शन देय होगा।

5-कनेक्शन हेतु लाईन व सब स्टेशन बनवाने में जो मजदूरी की आवश्यकता पड़ेगी उसका भी आपको प्रबन्ध करना पड़ेगा। नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं -

1-सीमेंट बालू तथा गिटटी की आवश्यकता आखिरी खम्भे तथा एकल पोल रेट के लिए होगी, जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी प्रति खम्भे.....सीमेंट 0.85 बोरी बालू 4.55 घन फीट गिटटी 9.100 घन फीट प्रति स्टे सीमेंट 0.35 बोरी बालू 1.85 घन फीट गिटटी 3.70 घन मीटर।

2-आपके कार्य करने के लिए.....(कार्य दिन) मजदूरी की जरूरत होगी यदि आपको उपर लिखित शर्तें मान्य हो तो आप कृपया किसी कार्य दिवस में 10.00 बजे से प्रातः 13:00 बजे दोपहर तक दो गवाहों सहित इस कार्यालय में पधार कर एग्रीमेंट हस्ताक्षर करें।

3-नान जुडिशियल 100/रु का जनरल स्टैम्प तथा 20 पैसे की रसीदी टिकट।

4-उपर लिखी सब राशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाईन चार्ज के रु० की रसीद जमा करें।

5-आपके कनेक्शन को बिजली दी जायेगी जब आपकी वायरिंग पूरा होगा और बी०एल०फार्म० और मीटर डिकलैरेशन फार्म (मीटर मुआइने के ट्रेजरी चालान सहित) इस कार्यालय में जमा कर देंगे।

6-बी०एण्ड०एल० फार्म जमा करने के बाद अनुबन्ध एवं कार्यदेश होगा। यदि आप उपरोक्त शर्तें इस पत्र में पाने के 30 दिन तक पूरा नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक /वि०वि०खं०(कै०)/

दिनांक

सहायक अभियन्ता विद्युत वितरण उपखण्ड प्रथम/द्वितीय/कैम्पियरगंज।

कैशियर (राजस्व) के उपरोक्त धनराशि के भुगतान की रसीद इस पत्र में संलग्न कर अनुबन्ध लिपिक को वापस करने हेतु प्रेषित एवं मानचित्रक को भी अवगत करायें।

अधिशासी अभियन्ता